दिनांक 27.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 547 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की

- **जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले 9 जनपदों के 10 थानाध्यक्षों को प्रत्यावर्तित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश**
- जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए थाने और चौकी स्तर पर ही शिकायतकर्ता की शिकायत पर समुचित कार्यवाही की जाये।
- भूमि विवादों की शीर्ष 10 सूची बनाकर राजस्व विभाग के समन्वय से कार्रवाई
- यक्ष बीट रिपोर्ट में दर्ज भूमि विवादों को भी निगरानी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा
- प्रत्येक एसएसपी/एसपी कार्यालय में जन शिकायतों के प्रतिदिन पर्यवेक्षण हेतु निगरानी डेस्क
- थाने एवं चौकी स्तर पर लम्बित जन शिकायतों की समीक्षा कर 03 दिवस में जनपदीय प्रभारी अनुपालन आख्या देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

उपरोक्त निर्देश के प्रभावी अनुपालन हेतु आज, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026 को पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद) के साथ जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की।

बैठक में जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेने हेतु निर्देशित किया गया जिससे शिकायतकर्ताओं को जनपदीय अथवा पुलिस मुख्यालय पर आने की आवश्यकता ना पड़े।

इसके अतिरिक्त थाने एवं चौकी पर जनसुनवाई को और बेहतर करने, भूमि एवं अन्य स्थानीय विवादों में विभागीय समन्वय तथा संवेदनशील मामलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई।

1. जनशिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण

- आईजीआरएस, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता से सुना जाए। किसी भी शिकायत को दर्ज करने से मना न किया जाए।

- शिकायत के निस्तारण के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय हो। लंबित रहने का कारण दर्ज किया जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए।
- शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति का विश्लेषण कर वृद्धि के कारणों की पहचान की जाए। पंजीकरण और निस्तारण के आंकड़ों की शुचिता बनाए रखी जाए।
- प्रत्येक एसएसपी/एसपी कार्यालय में केंद्रीय निगरानी डेस्क स्थापित की जाए। यह डेस्क प्रतिदिन प्राप्त, निस्तारित और लंबित शिकायतों का विवरण रखे तथा संबंधित थाना/चौकी से लंबित मामलों का फॉलो-अप करे।

2- नागरिकों के प्रति सुलभ व्यवहार और जवाबदेही

थाने या चौकी पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की बात धैर्यपूर्वक और सम्मान के साथ सुनी जाए। अभद्रता, उपेक्षा, अनावश्यक टालमटोल, पक्षपात या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

3. भूमि विवादों की सूची और राजस्व विभाग से समन्वय

- प्रत्येक थाने में शीर्ष 10 भूमि विवादों की सूची तैयार की जाए। इनके निस्तारण की निगरानी संबंधित एसीपी/सीओ करें और एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित करें।
- सूची में शामिल विवादों का निस्तारण होने पर अगले 10 प्रचलित भूमि विवादों को सूची में लेकर समाधान की कार्रवाई शुरू की जाए।
- पारिवारिक प्रकृति के विवादों में संबंधित पक्षों के बीच संवाद से समाधान का प्रयास किया जाए। अवैध कब्जे या कमजोर व्यक्तियों को बेदखल करने के मामलों में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो।
- न्यायालय में विचाराधीन मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पीड़ित की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

4. यक्ष बीट रिपोर्ट के आधार पर विवादों की पहचान

यक्ष बीट रिपोर्ट में दर्ज भूमि विवादों को संबंधित थाने की विवाद सूची और निगरानी व्यवस्था में शामिल किया जाए। बीट स्तर पर प्राप्त जानकारी का सत्यापन कर विवाद की गंभीरता का आकलन किया जाए और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को समय से अवगत कराया जाए।

5. संवेदनशील विवादों की विशेष टीमें और दैनिक निगरानी

- प्रत्येक थाने में क्षेत्र के शीर्ष 10 प्रचलित विवादो की सूची बनाई जाए।
- इनके समाधान के लिए थाना, सर्किल और जनपद स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएं।
- जिन विवादों में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से अभियोग पंजीकृत हुए हों, मारपीट की घटना हुई हो अथवा जातिगत या सांप्रदायिक संवेदनशीलता हो, उन्हें प्राथमिकता पर रखा जाए।
- संवेदनशील विवादों का थाना, सर्किल और जनपद स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण हो। पुलिस अधीक्षक के स्तर पर गठित विशेष डेस्क भी प्रतिदिन स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा करे।

6. शांति भंग की आशंका वाले मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई

जहां किसी विवाद में शांति भंग या लोक-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, वहां संबंधित तथ्य सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा

126 के तहत कार्यवाही की प्रक्रिया समय से शुरू कराई जाए तथा धारा 135 के तहत आवश्यक जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
मुचलके की शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित तथ्य और साक्ष्य सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 141 के तहत विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सके।

7- जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही
पुलिस महानिदेशक ने माह सितंबर में अगस्त के सापेक्ष अत्यधिक वृद्धि वाले 9 जनपदों के 10 थानाध्यक्षों को प्रत्यावर्तित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए जो निम्नवत् हैं

1- खीरी- (i) मैलानी (ii) फ़रधान
2- उन्नाव- सोहरामऊ
3- एटा- जसरथपुर
4- आगरा- लोहामंडी
5- प्रतापगढ़- महेशगंज
6- बदायूँ - उसावा
7- बिजनौर- चांदपुर
8- मथुरा- जैत
9- लखनऊ- बाबू बनारसीदास

8- थाने एवं चौकी स्तर पर लम्बित जन शिकायतों की समीक्षा कर 03 दिवस में आख्या
जनपदीय पुलिस प्रभारी थाने एवं चौकी स्तर पर लम्बित जन शिकायत, उनके लम्बित रहने के कारण एवं लापरवाह पुलिस कर्मियों की समीक्षा एवं कार्यवाही कर रेंज एवं जोन के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को आख्या प्रेषित करेंगे।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शिकायतों और विवादों का समय से, निष्पक्ष एवं संवेदनशील तरीके से निस्तारण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को न्यायोचित सहायता मिले और संभावित विवादों में समय रहते कार्रवाई कर कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए और लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों पर कठोर कार्यवाही की जाय।

दिनांक 27.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 548/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.10.2026 को थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द निवासी ग्राम जमालापुर थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर, हालपता 79/4 पार्क व्यू अपार्टमेन्ट सेक्टर 1 ब्लॉक ए एक्सटेंशन थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.10.2026 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निपनिया मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों

1–बृजेश कुमार 2–अमन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजेश कुमार निवासी गोसाईजोत थाना नगर जनपद बस्ती।

2–अमन निवासी ग्राम रमया थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद बस्ती/थाना कप्तानगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 46 लाख रूपये कीमत की चोरी के 02 अल्ट्रासाउण्ड मशीन व VOLUSON S8T मशीन**
- **01 वैगनार कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 26.10.2026 की रात्रि थाना कप्तानगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिहरा मोड़ के पास से अभियुक्त विपिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 46 लाख रूपये कीमत की चोरी के 02 अल्ट्रासाउण्ड मशीन व VOLUSON S8T मशीन, 01 वैगनार कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद अल्ट्रासाउण्ड मशीन आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, अयोध्या व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी पूरे काशीराम थाना छावनी जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लगभग 46 लाख रूपये कीमत की चोरी के 02 अल्ट्रासाउण्ड मशीन व VOLUSON S8T मशीन।

2–01 वैगनार कार (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना चौबेपुर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 68 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 164 किलोग्राम एल्युमीनियम तार, 98 किलोग्राम कॉपर बाइंडिंग, 03 ट्रांसफार्मर कॉइल**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.10.2026 की रात्रि थाना चौबेपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जादेपुर घस्सा मोड़ के पास से 07 अभियुक्तों 1–रंजीत 2–उमेश 3–चन्दन 4–आलोक 5–देवांश 6–आदित्य 7–गौतम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 68 हजार रूपये नगद, चोरी के 164 किलोग्राम एल्युमीनियम तार, 98 किलोग्राम कॉपर बाइंडिंग, 03 ट्रांसफार्मर कॉइल, घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आलोक के विरूद्ध जनपद फतेहपुर, उन्नाव व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त गौतम के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त देवांश के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त चन्दन के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त उमेश के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एंव अभियुक्त रंजीत के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजीत निवासी पिपौरी मर्दनपुर, थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2—उमेश निवासी हुलागंज, थाना हरबंश मोहाल कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3—चन्दन निवासी तार फैक्ट्री के सामने, बमरिया, थाना जूही कमिश्नरेट कानपुर नगर।

4—आलोक निवासी खाड़ेपुर कॉलोनी, थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर नगर, स्थाईपता आलियापुर, थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर।

5—देवांश निवासी खाड़ेपुर कॉलोनी, अर्रा चौकी क्षेत्र, थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर नगर; मूल निवासी ग्राम एवं थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर।

6—आदित्य निवासी 137/2, योगेन्द्र विहार, अर्रा, थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर नगर।

7—गौतम निवासी शांति नगर, थाना हल्दीबाड़ी, जनपद जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, हालपता कस्बा व थाना कलक्टरगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी के 68 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के 164 किलोग्राम एल्युमीनियम तार, 98 किलोग्राम कॉपर बाइंडिंग, 03 ट्रांसफार्मर कॉइल।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो वाहन आदि।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कोतवाली नानपारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नौशाद उर्फ शालू 2–गुलफाम उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हारून 2–ओमप्रकाश उर्फ साजन को कठोर आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना असंद्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना असंद्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लल्लू उर्फ वसीम को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना राजेपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना राजेपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजयवीर को 20 वर्ष के कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना छपिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल कुमार को 20 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————